

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टॉवर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

संख्या:18-एसआई(लिपिक)271-2025

दिनांक:लखनऊ:सितम्बर 30, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा-संशोधित) में निहित निर्देशों के अर्न्तगत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति अपर सचिव(प्रोन्नति) उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-चार-10(44)-2025 दिनांक 16.09.2025 द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें 59 कार्मिकों को पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है, जिसे पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उपयुक्त पाये गये 59 कार्मिकों के सापेक्ष दिनांक:31.08.2025 तक पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) की विद्यमान 41 रिक्तियों के सापेक्ष 41 पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुये यह अंकित किया गया है कि शेष बच रहे 18 चयनित कार्मिकों का पदोन्नति आदेश माह सितम्बर-2025 से माह जून-2026 तक होने वाली पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) की रिक्तियों के सापेक्ष किया जाना प्रस्तावित है।

2. दिनांक:30.09.2025 को पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के 02 कर्मियों के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के दृष्टिगत पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद की 02 रिक्तियां विद्यमान होगी, जिसके सापेक्ष अपर सचिव प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की सूची के क्रमांक-42 एवं 43 पर अंकित कर्मी को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 01.10.2025 से प्रभावी होगा। इस सम्बन्ध में पदोन्नति प्राप्त होने वाले कर्मियों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान नियुक्ति	चयन वर्ष
42	177	030820193	श्री राम प्रकाश	सोहन लाल	12-12-1972	INT HQ	2025
43	179	030820177	श्री राम अवतार	बदलू राम	12-04-1976	INT HQ	2025

3. पदोन्नति प्राप्त उपरोक्त पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कार्मिकों के परीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा संशोधित) में अंकित प्राविधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

4. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:13/21/89-का-1-1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

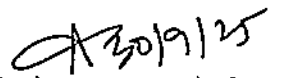
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
- उपरोक्त तीनों परिस्थितियाँ सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरुद्ध विद्यमान न हों।

5. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्म के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6. यदि सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्म को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> में 'Police Units-Police Hqrs-PHQ Circulars (subjects) - Ministerial Establishment' पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: प्रारूप (क)


(अखिलेश कुमार चौरसिया)
पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.अपर सचिव प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2.अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, लखनऊ उ0प्र0।

स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)-----पुत्र

-----निवासी-----थाना-----जनपद-----

वर्तमान में(जनपद/इकाई)-----नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0-----धारा-----थाना-----जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान-
दिनांक:-

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।